बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
आदेश

सं.–03/आ01–130/2016....................../श्री सुरेश प्रसाद, प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर, आरा सम्प्रति सेवानिवृत्त को आरोप पत्र में प्रतिवेदित अरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम (9) के सुसंगत प्रावधानों के तहत विभागीय आदेश संख्या–910 दिनांक 17.10.2016 द्वारा निलंबित किया गया।

2. श्री प्रसाद के दिनांक 31.01.2018 को सेवानिवृति के फलस्वरुप विभागीय अधिसूचना संख्या–110 दिनांक 15.02.2018 द्वारा सेवानिवृति की तिथि के प्रभाव से इन्हें निलंबन मुक्त किया गया। विभागीय अधिसूचना संख्या–155 दिनांक 20.05.2020 द्वारा श्री सुरेश प्रसाद को 10 प्रतिशत पेंशन पर सदा के लिए रोक एवं जब तक नीलाम वाद का फैसला नहीं आता है अथवा पूर्ण राशि वसूल नहीं हो जाती है तब तक उपादान एवं अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि का भुगतान लंबित रहने के आशय का दंड अधिरोपित किया गया है।

3. उक्त अधिसूचना में वर्णित है कि निलंबन अवधि (दिनांक 17.10.2016 से दिनांक 31.01.2018 तक) के संबंध में अलग से निर्णय लिया जाएगा।

4. निलंबन अवधि के संबंध में श्री सुरेश प्रसाद के प्राप्त अभ्यावेदन की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गई है। अंकनीय है कि नए विद्यालयों का अतिरिक्त वर्ग कक्षा के निर्माण हेतु राशि निर्गत कर बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता एवं गबन में संलिप्तता के आरोपों के आधार पर विहित प्रक्रिया का अनुसरण कर इन्हें वृहत दंड दिया गया है। अतएव अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत श्री सुरेश प्रसाद के निलंबन अवधि (दिनांक 17.10.2016 से दिनांक 31.01.2018 तक) के वेतन भत्तों एवं सेवा निरूपण के सम्बन्ध में निम्नवत निर्णय लिया गया है –

"निलंबन अवधि में इन्हें अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अन्य कोई भुगतान देय नहीं होगा तथा उक्त अवधि की गणना पेंशनादि प्रयोजनार्थ की जायेगी"।

5. उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/
(मनोरंजन कुमार)
निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांक–03/आ01–130/2016 I/354293/ पटना, दिनांक–22.01.2026

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै.दा.नि. कोषांग) विभाग, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/श्री सुरेश प्रसाद, प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर, आरा सम्प्रति सेवानिवृत्त (पता :– पिता–जगन्नाथ राम, माँ आनंद मई कॉलोनी, बी.आर. अम्बेदकर रोड, खोजा इमली, फुलवारी, पटना–801505)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02 शिक्षा विभाग एवं आई. टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by
Manoranjan Kumar
Date: 22-01-2026 18:31:27
निदेशक (प्रशासन)